उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन ,14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

सं0: /अधि0नि0/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांक: 30 जून, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
वि0 वि0 नि0 लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल एवं केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय :– मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान की व्यवस्था/प्रकिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में कारपोरेशन द्वारा उदय योजना, पावर फार ऑल योजना एवं वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति के टर्न अराउण्ड हेतु सभी विद्यमान एवं भविष्य के उपभोक्ताओं को शत–प्रतिशत मीटर्ड किये जाने की प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर एक कोष की स्थापना किये जाने एवं उक्त कोष हेतु उपभोक्ताओं से प्राप्त मीटर कास्ट की धनराशि एवं उसका विवरण वितरण निगमों के स्तर से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को नियमित उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया था, ताकि मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान हेतु पर्याप्त निधि का नियोजन करते हुए, आवश्यकतानुसार देय निधि वितरण निगमों को निर्गत की जा सके। परन्तु वितरण निगमों द्वारा उक्त विषयक कारपोरेशन के पत्रों एवं अनुस्मारक पत्र के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने के अनुरोध के उपरान्त भी न तो उक्त संदर्भित कोष हेतु उपभोक्ताओं से प्राप्त की गयी मीटर कास्ट की धनराशि, न ही इसकी सूचना कारपोरेशन को प्रेषित की गयी, जिससे अद्यतन मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान लम्बित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः उक्त के दृष्टिगत डिस्काम्स अन्तर्गत मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जा रही है:–

1. वितरण निगमों अन्तर्गत वर्तमान एवं भविष्य के उपभोक्ताओं से मीटर स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त की जाने वाली मीटर कास्ट की धनराशि को डिस्काम स्तर पर ही पृथक रूप से रखते हुए, उक्त धनराशि का उपयोग कारपोरेशन को सूचनाधीन मीटर आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं के भुगातन हेतु किया जायेगा।
2. इसी प्रकार उपभोक्ताओं के खराब मीटर को बदलने पर प्राप्त होने वाली मीटर कास्ट की धनराशि भी डिस्काम स्तर पर संरक्षित रखते हुए मीटर आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं के भुगतान हेतु प्रयोग की जायेगी।
3. निवेश मित्र एवं झटपट संयोजन पोर्टल के माध्यम से स्थापित होने वाले विद्युत संयोजनों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि में सम्मिलित घटकों (Component) अन्तर्गत प्रकिया शुल्क (Processing Fees), सुरक्षित जमा (Security Deposit) एवं सर्विस लाइन चार्जेज (Service Line Charges – मीटर, तार व अन्य सामग्रियों) का सम्बन्धित लेखाशीर्षों में पृथक–2 विवरण रखा जायेगा तथा सर्विस लाइन चार्जेज के रूप में मीटर एवं अन्य सामग्रियों एवं प्रकिया शुल्क हेतु उपभोक्ताओं से ली जाने वाली धनराशि का उपयोग डिस्काम द्वारा मीटर आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य सामग्रियों की देयताओं के भुगतान हेतु तथा अवशेष धनराशि उपभोक्ताओं को सूचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रयोग की जायेगी। सुरक्षित जमा (Security Deposit) का उपयोग किसी अन्य कार्य हेतु नही किया जायेगा।
4. उपभोक्ताओं से प्राप्त की जाने वाली उक्त योजनाओं/कार्यो से सम्बन्धित धनराशियों पर जी0एस0टी0 की प्रयोज्यता, जारी की जाने वाली Tax Invoice एवं Input Tax Credit के विषय में कारपोरेशन द्वारा पत्रांक 241/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 24.06.2020 के माध्यम से जारी GST सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
5. उक्त व्यवस्था का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु डिस्काम अन्तर्गत सक्षम स्तर से आवश्यक प्रकिया निर्धारित की जायेगी।

भवदीय,

(सुधीर आर्य)
निदेशक (वित्त)

सं0 789/अधि0नि0/निधि-II/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य)/(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य), वि0 वि0 नि0 लि0 मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं निदेशक (वाणिज्य)/उप महाप्रबन्धक (वित्त), केस्को, कानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन) कक्ष संख्या- 407, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट अन्तर्गत ई-बुक (मीटर आपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी) पर अपलोड किये जाने हेतु।

(सुधीर आर्य)
निदेशक (वित्त)